महिला सशक्तिकरण और कुटीर उद्योगः विकास का नवीन उपागम

ओमप्रकाश लाल श्रीवास्तव

Ikjk'k% भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। लगभग 68.84 प्रतिशत आबादी (सन् 2011 की जनगणना के अनुसार) गांवों में निवास करती है, तथा गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि का संबंध अनेक कुटीर उद्योगों से है, इसलिए बिना कुटीर उद्योगों का विकास किए गांवों का विकास नहीं हो सकता तथा कृषि व कुटीर उद्योगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम नहीं होती, इस प्रकार जब कृषि तथा कुटीर उद्योगों का विकास होगा तो महिलाएं सशक्त होंगी तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। गांधी जी के अनुसार, ''भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग धंधों में निहित है''। जब महिलाएं कुटीर उद्योगों द्वारा आय अर्जित करती हैं तो वे स्वयं तो आत्मनिर्भर होती ही हैं, साथ ही उससे परिवार तथा समाज भी लाभान्वित होते हैं। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती हैं तो उनमें आत्मविश्वास पनपता है तथा उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। उन्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती, अपितु वे दूसरे को सहारा प्रदान करती हैं। लघु तथा कुटीर उद्योगों में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) में इनका योगदान लगभग 29 प्रतिशत है।

प्रस्तावना

भारत गांवों का देश है और यहां की बहुसंख्य आबादी गांव में निवास करती है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ थी जिसमें पुरूष लगभग 62.31 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 51.47 प्रतिशत तथा महिला की आबादी लगभग 58.74 करोड़ यानी कुल आबादी का 48.53 प्रतिशत थी कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत शहर में तथा 68.84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि का संबंध कुटीर उद्योगों

से है। बिना कुटीर उद्योगों का विकास किए गांवों का विकास नहीं किया जा सकता तथा कृषि में आधे से अधिक कार्यों मे सहभागिता महिलाओं की होने के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण होना अत्यंत आवश्यक है बिना महिलाओं के सशक्तीकरण के ना तो कृषि का विकास होगा और ना ही कुटीर उद्योग धंधों का।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का योगदान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। एक जमाना था जब भारतीय ग्रामोद्योग उत्पाद का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता था भारतीय वस्तुओं का बाजार चरमोत्कर्ष पर था, किंतु औपनिवेशिक शासन में ग्राम उद्योगों का पतन हो गया। फलतः हमारे गांव एवं ग्रामवासी गरीबी के दलदल में फंस गए थे। ऐसे गांवों के विकास में ग्राम उद्योग का अपना महत्व है। गांव के विकास के अभाव में भारत की समृद्धि, संपन्नता व आत्मनिर्भरता अर्थहीन है। गांवों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ''जब तक हम ग्राम में जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के संबंध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गांवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं, जब वे अपनी जरूरतों के लिए गांवों पर ही निर्भर रहें ना कि शहरों पर, जैसा कि आज''। उन्होंने यह भी कहा था कि बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के ग्रामीण किसान मृत हैं, वे केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकते। उन्हें सहायक उद्योग चाहिए। ''गांधीजी के अनुसार भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है'' मोरारजी देसाई के अनुसार, ''ऐसे उद्योगों से ग्रामीण लोगों को जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालिक रोजगार प्राप्त होता है''। लघु तथा कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सन् 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 6 करोड़ 34 लाख छोटे व लघु उद्योग हैं, जिनमें 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत के जी.डी.पी.में इनका लगभग 29 प्रतिशत योगदान है और निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 49 प्रतिशत है। इनमें कुल 8000 से ज्यादा उत्पाद तैयार होते हैं। आत्मनिर्भर भारत में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा है क्योंकि ये क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार तो देते ही हैं साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा देते हैं। पी.एम. मोदी का आत्मनिर्भर भारत और ''लोकल से वोकल'' तक का अभियान इसी की एक कड़ी है। बेरोजगारी और गांव से पलायन रोकने के लिए देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर सहायता देकर विकसित करने की जरूरत है। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु आर्थिक, तकनीकी सहायता के साथ-साथ इन्हें सक्षम बनाना जरूरी है। जब हर गांव कुटीर उद्योगों से परिपूर्ण होगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा और महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार होगा।

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योग वे हैं, जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप

में चलााए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियो या स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसमें प्रायः स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए माल तैयार रहता है।

कुटीर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः–

1. ग्रामीण कुटीर उद्योग
2. शहरी कुटीर उद्योग

ग्रामीण कुटीर उद्योग

ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योग भी दो श्रेणियों में उपविभाजित किए जा सकते हैं। वे उद्योग जो कृषकों द्वारा सहायक धंधे के रूप में चलाए जाते हैं, जैसे– मुर्गी पालन, गाय-भैंस पालना, सुअर, व भेड़ बकरी पालना, कघों पर बुनाई, टोकरियाँ बनाना, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खियां पालना, मछली पालना आदि।

दूसरे वे हैं जो ग्रामीण कौशल से संबंधित होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जूते बनाना, तिलहन से तेल निकालना आदि।

शहरी कुटीर उद्योग

शहरी कुटीर उद्योग वे है जो शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, इसके अंतर्गत खिलौना बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, साबुन बनाना, हथकरघा पर कपड़े बुनना, अगरबत्ती बनाना आदि।

कुटीर तथा लघु उद्योगों में अंतर

कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में हस्त क्रियाओं की प्रधानता रहती है, प्रायः परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और प्रायः स्थानीय बाजार की मांग की पूर्ति की जाती है। कुटीर उद्योगों में पूंजी का विनियोग नाम मात्र का होता है। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल एवं कुशलता का प्रयोग होता है।

लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करते हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा बड़े उद्योगों से कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन होता है। लघु उद्योगों में यांत्रिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा वेतन व मजदूरी पर पर्याप्त व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं।

महिला सशक्तिकरण और कुटीर उद्योग

महिला सशक्तिकरण में महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं जिससे वे अपने जीवन से

जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के विषय में सोचने की क्षमता का विकास। अर्थात महिलाएं अपने निर्णयों के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हों और वे अपने जीवन के विशय में खुद निर्णय ले सकें।

''महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हो। महिलाओं को जरूरत है अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाए रखने की और एक कदम बढ़ाने की''। देश बदल रहा है महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है, समय के साथ-साथ नारी और सशक्त होती जा रही हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है यह सत्य है किंतु परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है यह बात अधिक महत्व रखती है। हर युग में महिलाएं प्रतिभाशाली रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है जैसे– सीता, सावित्री, द्रोपदी, गार्गी आदि पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, रानी चेनम्मा, रानी पद्मिनी से लेकर इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सानिया मिर्जा आदि आधुनिक भारत की महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है इसमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला प्रमुख हैं।

हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि हर युग में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म किया जा सकता है। महिलाओं का विकास देश का विकास है। महिलाओं की साक्षरता, उनकी जागरूकता और उनकी उन्नति ना केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है बल्कि उनकी जागरूकता एवं साक्षरता देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए सरकार द्वारा आज के युग में महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास पर बल दिया जा रहा है। गांव और शहर में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत प्रदान करना ही असल में महिला सशक्तिकरण है।

विगत् कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है जो बहुत ही चिंतनीय है। शहर भी महिलाओं के लिए और असुरक्षित हो चले हैं। कुछ असामाजिक तत्व के कारण महिलाओं को परदे में रखने की सोच का जन्म होता है किंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे पर्दे में सुरक्षित रहेंगी? घर से बाहर ही नहीं

बल्कि घर में भी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के साथ ही घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। पर्दे में या दरवाजों के भीतर महिलाओं को बंदिनी बना कर रखना इन सब का हल नहीं है। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की, रोशनी को अंदर आने देने की, उस प्रकाश में अपना प्रतिबिंब देखने की, उसे निहारने की, निखारने की। इस कड़ी में एक और अहम दरवाजा आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी है। जरूरत है हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाए रखने की और एक कदम आगे बढ़ाने की।

लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि पाककला और गृह कार्य में निपुणता ही एक नारी के लिए परिपूर्णता है। बहुत कम लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी आज के समय में उतना ही आवश्यक है। आर्थिक रूप से सक्षम होना केवल परिवार के लिए ही नहीं अपितु अपने लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का महत्व तब पता चलता है जब परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो या किसी भी लड़की के वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी आ जाए। तब शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही एक लड़की को ना तो अपने माता-पिता पर और ना ही अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

एक सुखी जीवनयापन के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक है जो हमारे कौशल में निखार लाता है और हमारे व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करता है। व्यावहारिकता अनुभव और कौशल विपरीत से विपरीत स्थिति में भी जीवन यापन में सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि अशिक्षित महिलाओं में कौशल एवं हुनर कम है। कृषि, कुटीर उद्योग, पारंपरिक व्यवसाय, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्यों से महिलाओं को अपने इस हुनर को बाहर लाना है और देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा के अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के और विकृत मानसिकता के कारण विभिन्न आडंबर एवं अंधविश्वासों के चलते महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसे स्थानों पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए एवं आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। पुरुषों की भांति महिलाएं भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर वे व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें। यह जागरूकता ही तो उनके उनके, परिवार के व देश के विकास को गति प्रदान करेगी एवं एक नई दिशा देगी।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति ¼2001½

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा निर्देशक सिद्धान्तों में लैंगिक समानता के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। संविधान

न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है।

लोकतांत्रिक राजनीति के ढाँचे में हमारे कानून, विकास नीतियाँ, योजनाएं तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की ओर उन्मुख रखा गया है। महिला सशक्तिकरण को महिला की दशा का एक केन्द्रीय मुद्दा माना गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन् 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है, जिसके तहत महिला के अधिकारों तथा कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गयी है। संविधान का 73वें तथा 74वें संशोधन में पंचायत तथा नगर निकाय के चुनावों में महिला को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तरों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना 2021

महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस प्रकार की योजनाओं को संचालित करती है। ऐसी ही एक योजना यू.पी. महिला सामर्थ्य योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। स्थानीय संसाधनों के आधार पर होम एंड कॉटेज उद्योगों के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अपनी उपज को बेचने के लिये सरकार द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जायेगा। यू. पी. महिला सामर्थ्य योजना 2021 को सरकार ने यू.पी. बजट 2021-22 की घोषणा करते हुए 22 फरवरी 2021 को आरम्भ किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना शुरू की गयी है इस योजना के लिये सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण तथा कल्याण के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना साबित होगी, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 90 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग हैं। इनमें से 80 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयों के रूप में स्थापित है। जो होम एंड कॉटेज उद्योगों के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। इन उद्योगों में महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कल्याण तथा सशक्तिकरण करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना तथा उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले उद्योगों का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के विभिन्न प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है जिससे वे अपने उद्यमों को बेहतर बना सके तथा अपने जीवन में सुधार ला सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी तथा औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास होगा।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण मूर्तरूप देना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जायेगा ताकि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी साझेदारों को सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके नीति के प्रमुख उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं

1. महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के जरिए एक माहौल का निर्माण करना ताकि वे अपनी क्षमताओं को समझ सके।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक आजादियों का पुरुषों के समान कानूनी तथा व्यावहारिक उपयोग करना।
3. सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय करने का समान अवसर।
4. स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान वेतन पेशेवर स्वास्थ्य तथा, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी ऑफिस इत्यादि में समान अवसर की उपलब्धता।
5. कानूनी सिस्टम को सुदृढ़ करना, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन है।
6. पुरुष तथा महिला दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक धारणाओं और सामुदायिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना।
7. विकास प्रक्रिया में एक लैंगिक दृष्टिकोण को लागू करना।
8. महिलाओं तथा बालिकाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन।
9. सिविल सोसाइटी के साथ खास कर महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण तथा उसका सशक्तिकरण।

निष्कर्ष एवं सुझाव

दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां महिलाओं को हाशिये पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जुड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी आबादी को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ''ग्रामीण महिला'' को सशक्त किए बिना। महिलाएं शिक्षित तथा स्वावलंबी होकर तथा कुटीर उद्योगों

को अपनाकर आर्थिक दृष्टि से तो आत्मनिर्भर हो ही रही है, साथ ही गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनैतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं के हाथ में अधिकार देना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों की बराबरी करना ना होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में परिवार के साथ-साथ समुदाय के स्तर पर भी नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने में कुटीर उद्योग धंधे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब महिलाएं सशक्त तथा स्वावलंबी होंगी तो उनके साथ घरेलू हिंसा, शोषण तथा दोयम दर्जे जैसी घटनाएं घटित नहीं हो पाएंगी। कुटीर उद्योगों का विकास महिला सशक्तिकरण की दिशा में वरदान साबित हो सकता है। जागरूक महिलाओं को इस दिशा में आगे आना होगा तथा घर-घर में विकसित कुटीर उद्योग धंधे महिलाओं को स्वावलंबन के साथ सशक्तिकरण तो प्रदान करेंगे ही साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास के ढांचे को भी मजबूत व विकसित करने में योगदान प्रदान करेंगे।

संदर्भ

1. डॉ.बी.सी. सिन्हा– भारतीय आर्थिक समस्याएं पृ. 220, 221
2. कुरुक्षेत्र– वर्ष 56 अंक–7 जून 2010
3. कुरुक्षेत्र– वर्ष 64 अंक –3 जनवरी 2018,
4. प्रो. एस. एन. लाल– भारतीय अर्थव्यवस्था (सर्वेक्षण तथा विश्लेषण)– जून 2021 पृ. 18:14
5. https//pmmodiyojanaye.in>up.ma
6. सामान्य ज्ञान– किरण पृ. 439, 445